C:\Users\Room 10\Desktop\MY Doc\General\ashraf gen2.doc- 270 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:एफ.16(1)(93)सामा./आईसीडीएस/13/ 19711 जयपुर,दिनांक: 15/11/18

आ दे श

समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित वर्ष 2017–18 में परीक्षा देने की अनुमति निम्न शर्तो पर दी जाती है:–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

2 राजसेवक का पदस्थापन अद्यध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।

8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

10 प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन सेवारत अधिकारी/कर्मचारीगण जिन्हें अध्ययन की अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा करें एवं उनके शिक्षण संस्थानो से उनके अध्ययन और संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त करें। यदि अधिकारी/कर्मचारीगण शैक्षणिक संस्थानो के अनिवार्य वांछित शर्तो के साथ–साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन करते है तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री / प्रमाण–पत्र को अभिलेख पर नही लिया जाये ओर अपचारी राजसेवक के विरूद्व वृहद–शास्ती हेतु अनुशासनिक कार्यवाही कर सूचना अति.निदेशक (शिशु) मुख्यालय को देंगें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापन स्थान	अग्रिम अध्ययन का वर्ष 2018–19 (परीक्षा का नाम)
1	श्री पूनम चन्द्र चौधरी	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी गिर्वा (उदयपुर)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक
2	श्री परमेश्वर लाल	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	बी.ए. प्रथम वर्ष स्वयंपाठी
3	श्री महेन्द्र कुमार मीणा	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	बी.ए. प्रथम वर्ष स्वयपाठी
4	श्री हरीश कुमार	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋषभदेव (उदयपुर)	एम.ए. अग्रेजी परीक्षा प्रथम वर्ष
5	श्री रवि कुमार	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी सांभर लेक (जयपुर)	एम.ए. फाइनल समाजशास्त्र
6	श्री सुरेश मीणा	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी लालसोट (दौसा)	स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वयंपाठी के रूप में)
7	श्री प्रतिभा शर्मा	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी लालसोट (दौसा)	एम. ए. प्रथम वर्ष
8	श्री पंकज चौपडा	पू.प्रा.शि.अ	बाल विकास परियोजना अधिकारी सांभर लेक (जयपुर)	बी.ए. प्रथम वर्ष स्वयपाठी

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

(11)

कमांक:एफ.16(1)(93)सामा/आईसीडीएस/13/[illegible] जयपुर,दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ——————————————।
2 बाल विकास परियोजना अधिकारी,—————— जिला———————।
3 संबंधित श्री/श्रीमती ——————————पद—————— द्वारा परि. ——————————जिला———————।
4. एसीपी, मुख्यालय को वेवसाईड पर अपलोड करने बाबत ।
5 आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।